

प्रेषक,

मो० अहमद खान,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधि.,
सहारनपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या- 9691/IV-F-82
(Pension)/Admin.(A) Dated: July 16, 2024 एवं शासनादेश संख्या-
14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)2024 dated 28.06.2024 एवं
शासनादेश संख्या 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1) 2024, dated
11.07.2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन के विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के
नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या 2430/II-4-06-32(1) 2001 टी.सी.-
1) दिनांकित 26.05.2006 के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत
नोटिफिकेशन संख्या-993/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के माध्यम से
सिविल जज (जू.डि.) के पद पर हुई थी।

2. प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा निर्गत उक्त नोटिफिकेशन के
अनुपालन में दिनांक 16.06.2006 को योगदान देते हुए जनपद सुल्तानपुर में अपर सिविल
जज (जू.डि.) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।

3. प्रार्थी की उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति संख्या ए-2/ई-1/2003
प्रकाशित दिनांकित 15.11.2003 (रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-
2/ई-1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003) के अन्तर्गत नियुक्ति हुई थी। इस
प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या- 14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)2024
दिनांकित 28.06.2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

4. प्रार्थी शासनादेश संख्या 20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1) 2024,
dated 11.07.2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र पुरानी पेंशन योजना
में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है।

5. अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने
हेतु प्रार्थी के विकल्प पत्र एवं घोषणा पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिए माननीय उच्च
न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक-20.07.2024

संलग्नक-विकल्प पत्र मय घोषणा पत्र

दिनांकित 20.07.2024

कार्यालय-जिला न्यायाधीश, सहारनपुर

पत्रांक 1283/XV-2024 दिनांक 22/07/2024

अग्रम्बरित

जिला न्यायाधीश
सहारनपुर
22/07/2024

भवदीय

(मो. अहमद खान)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(अत्याचार निवारण) अधि.,
सहारनपुर।

शासनादेश संख्या-20/2024/Sa-3-276/X-2024/301(1)2024 dated
11.07.2024, का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम- मो. अहमद खान (आई०डी०- यू.पी.06215)
- 2 पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण) अधि., सहारनपुर।
3. वेतनमान- 178150(144840-194660, J-5)
4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग/(माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद)
5. राज्य सरकार के अधीन
प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती
हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले
विभाग का नाम- कार्मिक एवं न्याय विभाग (नियुक्त अनुभाग-4) उ०प्र०
शासन, लखनऊ।
6. विज्ञप्ति की तिथि- ए-2/ई-1/2003 प्रकाशित दिनांकित 15.11.2003
(रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-2/ई-
1/2003 दिनांकित 22-28 नवम्बर 2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष
नियुक्ति तिथि- दिनांक 26.05.2006(उ०प्र० शासन द्वारा जारी) एवं
दिनांक 13.06.2006 (माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद द्वारा जारी)
8. विभाग में योगदान तिथि- दिनांक 16.06.2006
9. जन्मतिथि- दिनांक 20.11.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- दिनांक 30.11.2033

मैं, मो० अहमद खान, पुत्र श्री मो० अली खान शासनादेश संख्या-
14/2024/Sa-3-243/X-2024/301(1)2024 dated 28.06.2024 के अन्तर्गत
पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प
अन्तिम समझा जाए।

हस्ताक्षर-

मो० अहमद खान,

(आई०डी०- यू.पी.06215)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.

(अत्याचार निवारण) अधि., सहारनपुर।


20.07.2024

घोषणा पत्र


में मो० अहमद खान, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधि., सहारनपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 ता 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर-

मो० अहमद खान,
(आई०डी०- यू.पी.06215)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.
(अत्याचार निवारण) अधि., सहारनपुर।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री मो० अहमद खान, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधि., सहारनपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


22/07/24.
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जिला न्यायाधीश
सहारनपुर